



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ, 1942 (श०)

संख्या-123 राँची, बुधवार,

17 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

संकल्प

01 फरवरी, 2021

संख्या-5/आरोप-1-2/2017-1004 (HRMS)-- श्री विष्णुदेव कच्छप, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच, गृह जिला-पलामू), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नगर ऊँटारी, गढ़वा के विरुद्ध उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-2145/ डी०आर०डी०ए०, दिनांक-02.12.2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है-

“श्री उदय पाल, ग्राम-पुरैनी, पोस्ट- नगर ऊँटारी, प्रखण्ड- नगर ऊँटारी द्वारा अभ्यावेदन के माध्यम से पुरैनी पंचायत के मुखिया द्वारा तीन इंदिरा आवास अपने पिता एवं अपने सगे भाईयों की पत्नी के नाम से निर्माण कराने में अनियमितता से संबंधित शिकायत प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में बरती गई अनियमितता की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, नगर ऊँटारी से करायी गई। अनुमंडल पदाधिकारी, नगर ऊँटारी के पत्रांक-173/गो0, दिनांक 23.07.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रखण्ड- नगर ऊँटारी में तथ्य को छुपाकर गलत तरीके से लाभुकों को इंदिरा आवास आवंटित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में योजना संख्या-39/2010-11 के लाभुक श्रीमती अंजु देवी, पति-विजय प्रसाद, ग्राम-पिंडरिया, पंचायत- पुरैनी, जो मुखिया के मझला भाई हैं तथा विद्युत विभाग में लाईन मैन हैं, उन्हें बी0पी0एल0 सं0-6091 के आधार पर लाभ दिया गया है। उक्त बी0पी0एल0 दूसरे ग्राम-शिवपुर के बखोरी राम के नाम से दर्ज है।

योजना संख्या-40/2010-11 के लाभुक श्रीमती रिकी देवी, पति- हृदय प्रसाद, ग्राम-पिंडरा, पंचायत- पुरैनी मुखिया के छोटे भाई हैं तथा गाँव में ही पारा शिक्षक हैं। इन्हें बी0पी0एल0 सं0-6002 के आधार पर लाभ दिया गया है। उक्त बी0पी0एल0 संख्या गाँव के दूसरे व्यक्ति मोहर साव के नाम से दर्ज है।

उपर्युक्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आपके द्वारा इंदिरा आवास योजना के लाभुकों का चयन गलत तरीके से तथ्य को छुपाकर दूसरे व्यक्ति की बी0पी0एल0 संख्या पर किया गया है। आपका यह कृत्य गलत मंशा एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।”

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-690, दिनांक 20.01.2017 द्वारा श्री कच्छप से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है। इसके अनुपालन में श्री कच्छप के पत्रांक-129(HRMS), दिनांक 31.01.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(क) उनके पदस्थापन काल में लगभग 400 इंदिरा आवास बनवाये गये। इंदिरा आवास के लाभुकों के आवेदन की जाँच पंचायत सेवक द्वारा किया जाता था, जिसमें उनके बी0पी0एल0 संख्या का मिलान भी शामिल था।

(ख) कार्य की अधिकता के कारण उनके द्वारा इंदिरा आवास के लाभुकों के बी0पी0एल0 संख्या का मिलान संभव नहीं था एवं पंचायत सेवक द्वारा श्रीमती अंजु देवी, ग्राम-पिंडरिया, पंचायत- पुरैनी तथा श्रीमती रिकी देवी, पति- हृदय प्रसाद, ग्राम-पिंडरिया का गलत बी0पी0एल0 सत्यापन कर उन्हें अंधेरे में रखा गया।

(ग) बी0पी0एल0 के सत्यापन में कार्यालय सहायक द्वारा भी अनदेखी की गई।

(घ) जिन लाभुकों को इंदिरा आवास दिया गया था, उनका घर मिट्टी का था एवं जर्जर स्थिति में था। इस बात की पुष्टि जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में की गई है।

श्री कच्छप के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-9941, दिनांक 19.09.2017 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा से मंतव्य की माँग की गयी है। उक्त के आलोक में उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-563/स्था0, दिनांक 02.11.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री कच्छप के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गढ़वा से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि यद्यपि दो लाभुकों को अन्य बी0पी0एल0 नं0 के आधार पर इंदिरा आवास का लाभ दिया गया है, किन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर से प्रत्येक लाभुकों का बी0पी0एल0 नं0 का सत्यापन कार्य संभव नहीं है। आवास आवंटन के पूर्व गलत बी0पी0एल0 के आधार पर इंदिरा आवास आवंटन संबंधी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को किसी प्रकार की सूचना अथवा शिकायत पत्र संबंधी कोई साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा जानबूझकर ऐसा कार्य नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी,

नगर ऊंटारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवंटित लाभुकों का पूर्व से मिट्टी का घर है, जो आंशिक रूप से गिरा हुआ है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री विष्णुदेव कच्छप, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नगर ऊंटारी, गढ़वा को इस मामले में “भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी” दी जाती है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विष्णुदेव कच्छप, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	VISHNU DEV KACHHAP 20080400130	श्री विष्णुदेव कच्छप, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नगर ऊंटारी, गढ़वा को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
